न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट मुबारिकपुर)
पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 31 / 16 निर्णय दिनांक : 02.05.2018

उनवान

1. चोहड़ू उर्फ बसंता राम पुत्र रामसहाय जाति चमार निवासी ग्राम नेवाडी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..............................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ।

.... प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि खाता सं0 186 के आराजी खसरा नम्बरान 24, 28, 29, 32, 34, 37, 119 कुल किता 7 रकबा 1.92 हैक्ट0 वाके ग्राम पडावदा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। व इसी प्रकार खाता सं0 38 की आराजी ख0 नं0 526 रकबा 0.76 वाके ग्राम नेवाडा तह0 रामगढ जिला अलवर राज0 में स्थित है जो प्रार्थना पत्र में विवादित है। उपरोक्त आराजी जो ग्राम पडावदा व नेवाडा में स्थित है कि बाबत वादी प्रार्थी ने पूर्व में एक दावा 88, 89 का इस आशय का पेश किया कि उक्त आराजीयात विवादित में वादी के नाम का अंकन यानि चोडूराम की जगह बसन्ता कागजातमाल जमाबन्दी आदि में दर्ज किया जावे। उपरोक्त प्रकरण की पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत गढी में पेश हुई और आदेश में सहबन से ग्राम पडावदा व नेवाडी की आराजी के खाता नम्बर लिखने की बजाय सारे खाता नम्बर ग्राम नेवाडी में दर्शाते हुए दर्ज कर दिया और प्रार्थी का नाम चौडू/ चोहडूराम/ पिता रामसहाय के स्थान पर बसन्ता पुत्र रामसहाय का इन्द्राज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये। निर्णय में समस्त आराजी एक ही गांव नेवाडी की लिख दी जबकि पडावदा व नेवाडी की आराजी दर्ज होनी चाहिए थे। इस कारण प्रार्थी का नाम शुद्ध नही हो सका और उक्त गलती सिलिपिंग आफ दी पैन की गलती से हुई है। जिसे धारा 136 में कभी भी दुरूस्त किया जा सकता है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता सं0 186 की आराजी वाके ग्राम पडावदा तहसील रामगढ जिला अलवर में जो स्थित है व इसी प्रकार खाता सं0 38 की आराजी जो वाके ग्राम नेवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है में प्रार्थी के नाम बसन्ताराम पुत्र रामसहाय का अंकन जारी किये जाने बाबत तहसीलदार साहब रामगढ के नाम आदेश प्रदान किये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है कि प्रार्थी की भूमि ग्राम पडावदा में स्थित खसरा नम्बर 24, 28, 29, 32, 34, 37, 119 किता 7 व नेवाडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 526 पर चौहडू पुत्र रामसहाय दर्ज है जबकि ग्राम पडावदा में स्थित खसरा नम्बर 98, 99, 103 खाता सं0 67 मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2067–70 के अनुसार बसन्ता पुत्र रामसहाय दर्ज है।

कोर्ट कैम्प श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के द्वारा मु0 नं0 1/139/15 निर्णय दिनांक 16.06.15 के अनुसार ग्राम पडावदा व नेवाडा नेवाडी तीनों ग्रामों की भूमि का नाम शुद्धिकरण बसन्ता पुत्र रामसहाय के नाम हो चुका है। सहबन से पर्चा डिक्री में ग्राम नेवाडी का शुद्धिकरण हो गया । शेष पडावदा, नेवाडा का पर्चा डिक्री में नाम दर्ज करने से शेष रह गया। अतः ग्राम पडावदा, नेवाडा में भी चौहडू पुत्र रामसहाय के स्थान पर बसन्ता पुत्र रामसहाय किया जाना उचित है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत मुबारिकपुर में दिनांक 02.05.2018 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। भू0 अ0 निरीक्षक धनेटा की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पडावदा व नेवाडा नेवाडी तीनों ग्रामों की भूमि का नाम शुद्धिकरण बसन्ता पुत्र रामसहाय के नाम हो चुका है। सहबन से पर्चा डिक्री में ग्राम नेवाडी का शुद्धिकरण हो गया । शेष पडावदा, नेवाडा का पर्चा डिक्री में नाम दर्ज करने से शेष रह गया। अतः ग्राम पडावदा, नेवाडा में भी चौहडू पुत्र रामसहाय के स्थान पर बसन्ता पुत्र रामसहाय किया जाना उचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं भू0 अ0 निरीक्षक धनेटा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि खाता सं0 186 की आराजी खसरा नम्बरान 24, 28, 29, 32, 34, 37, 119

उपखण्ड अधिकारी

कुल किता 7 रकबा 1.92 हैक्ट0 वाके ग्राम पडावदा व इसी प्रकार खाता सं0 38 की आराजी ख0 नं0 526 रकबा 0.76 हैक्ट0 वाके ग्राम नेवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है में प्रार्थी का नाम बसन्ताराम पुत्र रामसहाय का अंकन किया जाना सुनिश्चित करे। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत मुबारिकपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)